

27.01.2025:—पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीदार हनुमानगढ से प्राप्त रिपोर्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली मे अधिवक्ता की बहस एव साक्ष्य सबूतो को मध्यनजर रखते हुए। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार हनुमानगढ को निर्णय की पालना मे पत्र जारी कर शामिल मिशल किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

01/25
राज्यपाल कलकत्ता
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

